

संख्या-बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016- 463 पटना,दिनांक- 30/06/2017

बिहार कौशल विकास मिशन  
श्रम संसाधन विभाग,  
बिहार सरकार

### अधिसूचना

विषय:- राज्य में कौशल प्रशिक्षण हेतु समरूप प्रक्रियात्मक एवं दर मानक के निर्धारण के संबंध में ।

राज्य में चल रहे एवं भविष्य में संचालित होने वाले सभी प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम में एकरूपता के लिए बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा कौशल संवर्द्धन के विभिन्न प्रक्रियाओं एवं विभिन्न दरों का मानक निर्धारित किये जाने हेतु Process एवं Cost norms तैयार किया गया तथा इसे अधिसूचना संख्या-बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016-339 दिनांक-23.08.2016 के द्वारा अधिसूचित करते हुए अनुसूची-1 के रूप में संलग्न कर कौशल संवर्द्धन से संबद्ध सभी विभागों के बीच परिचारित किया गया ।

2. बिहार कौशल विकास मिशन के कार्यकारिणी समिति एवं शासी पर्षद के अनुमोदन के पश्चात अधिसूचना संख्या-339 दिनांक-236.08.2016 के साथ अनुसूची-1 के रूप में संलग्न Process एवं Cost norms के Cost norms की कंडिका-3, कंडिका-4.1 तथा कंडिका-6 में कतिपय संशोधन करते हुए इसे अधिसूचना संख्या-बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016-143 दिनांक-23.02.2017 के द्वारा अधिसूचित करते हुए इस संशोधन को कौशल संवर्द्धन से संबद्ध सभी विभागों को परिचारित किया गया ।

3. दिनांक-06.06.2017 को बिहार कौशल विकास मिशन की कार्यकारिणी समिति तथा दिनांक-15.06.2017 को बिहार कौशल विकास मिशन के शासी पर्षद की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के अधिसूचना संख्या-339 दिनांक-23.08.2016 के द्वारा अधिसूचित Process एवं Cost norms के Cost norms की कंडिका-1 Training cost को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है -

#### Domain specific skilling

- Category 1:INR 42.4 per candidate per course per hour
- Category 2:INR 36.3 per candidate per course per hour
- Category 3:INR 30.3 per candidate per course per hour

A per candidate portal usage fee (against using the portal for monitoring and evaluation of the training and the actual training delivery) of INR 0.50 per candidate per hour will be deducted from the amount payable to the SDC.

Thus the eventual payout to the SDCs in case of Domain specific skilling will be:

- Category 1:INR 41.9 per candidate per course per hour
- Category 2:INR 35.8 per candidate per course per hour
- Category 3:INR 29.8 per candidate per course per hour

The above costs are applicable for FY 2017-18 for batches starting from 1<sup>st</sup> April, 2017 onwards.

The training cost will increase by 5-10% as deemed fit by BSDM every Financial year coming in effect from 1<sup>st</sup> of April of the subsequent years or as notified by BSDM.

Note:

1. The course categorization details can be seen in Annexure 1
2. For cases where the premises/building is provided by Government, a monthly rent as per the prevalent circle rates will be charged from the SDC operator using the allotted infrastructure.

#### 2.1 Under KYP

BSDM shall provide the space(BSDC)to Organisations on a rental basis.The monthly rental would be as below.

BSDC in Category A blocks- INR 2400 per month.

BSDC in Category B blocks- INR 2000 per month.

BSDC in Category C blocks- INR 1600 per month.

BSDC in Category D blocks- INR 1200 per month.

Note: BSDM shall deduct a portion of the Training fee towards rent.An annual increment in the rent subject to a maximum of 10% may be levied as will be decided by BSDM as appropriate.

2.2 For other government premises provided under domain skilling,the rates shall be decided by the respective departments owing the premises.

3. For Recruit- Train- Deploy(R-T-D)model projects the courses proposed by the Industry if not in the existing course offering list will be categorized as per the above 3 categories based on their capital intensiveness and their likeness to the existing course categorization.

**Kushal Yuva Program:** INR 36.3 per candidate per hour.

4. बिहार कौशल विकास मिशन के कार्यकारिणी समिति एवं शासी पषद में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा पत्र संख्या- 339 दिनांक-23.08.2016 के द्वारा अधिसूचित Process एवं Cost norms के Process norms की कंडिका-13 दो बार अंकित हो जाने के कारण कंडिका-13 Protal usage fees को कंडिका-13A नामित करते हुए इसकी प्रथम उप कंडिका को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

In case of Kushal Yuva Programme(KYP) : A per course per candidate portal usage fee of INR 925(i.e. INR 3.854 per candidate per hour for 240 hours) will be deducted from the amount payable to the SDC operators or will be charged in case of candidate paid models. This rate is applicable for FY 2017-18 only which will be revised for subsequent years.

इस कंडिका 13A की शेष उप कंडिकायें यथावत् रहेंगी ।



5. बिहार कौशल विकास मिशन के कार्यकारिणी समिति एवं शासी पर्वद में लिए गये निर्णय के आलोक में पत्र संख्या-339 दिनांक-23.08.2016 से अधिसूचित Process एवं Cost norms के Cost norms की कंडिका-10 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

Process and Cost Norms – Cost Norms- Clause 10: Post- placement support(PPS)for Special Areas/Groups for wage employment.

Domain Specific Skilling (including the RTD model projects)

In order to enable the newly skilled persons from special Areas/Groups to settle into their new jobs/vocations under wage employment, post placement support would be provided directly to the candidate at the rate of Rs.1500/- per month for the following durations:

- o Placement within District of domicile- 1 month for Men, 2 months for Women .
- o Placement outside District of domicile-2 months for Men, 3 months for Women.

Post Placement support for Persons with Disabilities will be provided at the rate of Rs. 3000/- per month as under:

- Post placement support @ Rs.3000/- per month Men/Women
  - (i) Placement within District of domicile 2 months
  - (ii) Placement outside District of domicile 3 months
  - (iii) Placement outside State of domicile 6 months

Not applicable for Kushal Yuva Programmed and RPL

6. राज्य सरकार के द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण में स्वयं सहायता भत्ता के अभ्यर्थियों से सुरक्षित जमा के रूप में ₹1000/- की राशि जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया है । राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय तथा दिनांक-06.06.2017 तथा 15.06.2017 को बिहार कौशल विकास मिशन के कार्यकारिणी समिति एवं शासी पर्वद में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा अधिसूचित Process एवं Cost norms की कंडिका-14 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

**Kushal Yuva Programme:**

1. INR 1000 will be taken as refundable security deposit(to be paid to BSDM through the SDC operator)from candidates who are either covered under Kushal Yuva Program or under Self-Help allowance(SHA)programme.For SHA candidates this will be applicable from 1<sup>st</sup> June 2017 batch and onwards.
2. For those youth of age group 20-25 who have opted for and have been approved for grant of self-help allowance(SHA),the last 5 months payment of payable SHA shall be released to them only after they successfully complete the Kushal Yuva Training Programme.

4.

7. क्रमांक-1 से 5 तक के संशोधन दिनांक-01 अप्रैल, 2017 एवं इसके बाद प्रारम्भ होने वाले बैच पर लागू माना जायेगा ।

8. क्रमांक-6 का संशोधन कुशल युवा कार्यक्रम का दिनांक-01 जून, 2017 से प्रारम्भ होने वाले बैच पर लागू होगा ।

9. अधिसूचना संख्या-बी0 एस0 डी0 एम0/ कार्य समीक्षा/14/2016-339 दिनांक-23.08.2016 के द्वारा निर्गत अधिसूचना की अनुसूची-1 तथा बी0 एस0 डी0 एम0/ कार्य समीक्षा/14/2016-143 दिनांक-23.02.2017 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

10. यह अधिसूचना कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय, भारत सरकार के Common norms में किये गये संशोधनों के आलोक में कौशल विकास मिशन के कार्यकारिणी समिति एवं शासी पर्वद में लिए गये निर्णय के आलोक में निर्गत किया जाता है ।

(दीपक कुमार सिंह)

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक-बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016-463 पटना, दिनांक- 30/06/2017  
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/सचिव, पर्यटन विभाग/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग/महानिरीक्षक, कारा सेवार्य/सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक-बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016-463 पटना, दिनांक- 30/06/2017  
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक-बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016-463 पटना, दिनांक- 30/06/2017  
प्रतिलिपि-मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।